### <u>न्यायालयः—मधुसूदन जंघेल,</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म०प्र०)</u>

दाण्डिक प्र0क0—355 / 2016 संस्थित दिनांक—15.05.2015 फा.नंबर 234503004222015

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बिरसा, जिला बालाघाट (म0प्र0)

.....अभियोजन

### !! विरुद्ध !!

रामाधर साहू पिता जगतराम, उम्र—46 वर्ष, जाति तेली, निवासी साहू होटल के पास बाजार चौक गोगांव थाना गुडियारी जिला रायपुर(छ०ग०)

.....आरोपी

## <u>!! निर्णय !!</u> ( दिनांक 11/06/2018 को घोषित किया गया )

01:— उपरोक्त नामांकित आरोपी पर दिनांक 20.03.2015 को शाम 7:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बहेराभाटा तोरणा रोड चौराहा मेन रोड लोकमार्ग पर वाहन इनोवा कमांक सी.जी.04/एच.डी—1404 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलांकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित करने, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलांकर फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठांकरे को टक्कर मारकर साधारण उपहित कारित करने, उपरोक्त वाहन से फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठांकरे की हीरो साईकिल को टक्कर मारकर, नुकसान पहुँचांकर रिष्टी कारित करने, उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात उक्त वाहन को छोड़कर भागने, आहत को चिकित्सा उपलब्ध न करवाने एवं थाने में सूचना नहीं देने, इस प्रकार धारा 279, 337, 427 भा.दं.वि. एवं धारा 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02:- प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

03:— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 20.03.2015 को शाम लगभग 7:00 बजे फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठाकरे अपनी सायकिल से ग्राम तोरना की ओर से बहेराभाटा बस्ती जा रहा था, तभी बहेराभाटा चौराहा पर आरोपी अपनी चार पहिया वाहन क्रमांक सी.जी.

04.एच.डी.1404 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और फरियादी की सायिकल को टक्कर मार दिया। गिरने से फरियादी के मुँह, ओंढ, सिर, पीठ पर चोटें आई तथा सायिकल भी टूट—फुट गया। घटना के उपरांत आरोपी अपना वाहन लेकर घटनास्थल से चला गया। घटना के उपरांत आहत को ईलाज के लिये सी.एच.सी. बिरसा ले गये, जहाँ से बिरसा थाना में घटना की तहरीर भेजी गई थी। घटना थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत होने से थाना बिरसा में अपराध कमांक 32/15 धारा—279, 337, 427 भा.द.वि. एवं 184, 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटना स्थल का मौका नक्शा बनाया गया। प्रकरण में जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04:— आरोपी ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण में आरोपित अपराध से अस्वीकार किया है तथा आरोपी द्वारा कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

# 05:-प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं:-

- 1.क्या आरोपी ने दिनांक 20.03.2015 को शाम 7:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बहेराभाटा तोरणा रोड चौराहा मेन रोड लोकमार्ग पर वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.04 / एच.डी—1404 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?
- 2.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर गंगेश्वर उर्फ गंगू को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित किया ?
- 3.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन से फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठाकरे की हीरो साईकिल को टक्कर मारकर, नुकसान पहुँचाकर रिष्टी कारित किया ?

4.क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात उक्त वाहन को छोड़कर भागने व आहत को चिकित्सा उपलब्ध न करवाने एवं थाने में सूचना नहीं दिया?

#### !! निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण !!

# विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 04

06:— प्रकरण में सर्वप्रथम यह विचार किया जाना है कि क्या आहत गंगू उर्फ गंगेश्वर को दुर्घटना में उपहित कारित हुयी थी। गंगू उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 ने बताया कि लगभग एक वर्ष वह अपनी सायिकल से बहेराभाटा। बस्ती की ओर आ रहा था, तब बुलेरो ने उसे टक्कर मार दिया, जिससे उसके हाथ, पीठ व कोहनी पर चोट आई थी, जिसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। दुर्घटना से चोट आने के तथ्य को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है।

07:— आहत गंगू उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 द्वारा बताया गया चोट का समर्थन करते हुए डॉ० एम० मेश्राम अ.सा.07 ने कथन किया है कि दिनांक 20.03.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में उसने आहत गंगू पिता मनबोध, उम्र—25 वर्ष निवासी रामपुर का मैकेनिकल परीक्षण किया था। आहत के उपरी ओंठ के मध्य भाग पर कटी—फटी चोट पौन गुणा पाव इंच गुणा आधा इंच, चोट कमांक—02 नीचले ओंठ पर कटी—फटी चोट जिसका आकार आधा इंच गुणा पाव इंच गुणा पाव इंच, चोट कमांक—03 दाहिने आंख के नीचे सूजन दो गुणा डेढ़ इंच, चोट कमांक—04 माथे पर दाहिनी ओर एक इंच गुणा एक इंच, चोट कमांक—05 बांये कोहनी पर खरोंच दो इंच गुणा एक इंच, चोट कमांक—07 बांई कमर पर खरोंच एक इंच गुणा पौन इंच मौजूद था। आहत के मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी। उसके चाल में गड़बड़ाहट थी और उल—जुलुल बात कर रहा था। चोट कड़े एवं खुरदुरे वस्तु के तेज प्रहार अथवा रोड दुर्घटना से आना प्रतीत हो रहा था। चोट परीक्षण के दो घंटे पूर्व की होकर साधारण प्रकृति की थी। उसके द्वारा आहत का दिया गया मेडिकल

परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है। उक्त आहत के उपचार के संबंध में उसने थाना प्रभारी बिरसा को प्र.पी.12 की तहरीर भी भेजा था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने झूठी रिपोर्ट तैयार की थी। इस प्रकार चिकित्सक साक्षी के कथन एवं उनके द्वारा दिये गये मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.11 से आहत को साधारण उपहित होना भी प्रमाणित होता है।

08:— अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपी द्वारा वाहन इनोवा कमांक सी.जी.04एच.डी.1404 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित किया गया था। गंगु उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 ने बताया कि वह आरोपी को जानता है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व ग्राम कचनारी बहेराभाटा की है। वह अपनी सायकिल से बहेराभाटा बस्ती आ रहा था। मोड़ पर बुलेरो गाड़ी ने स्पीड से आकर उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया। उसके हाथ, पीठ और पैर में चोटें आई थी। उसका सायकिल दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था। उसे दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर याद नहीं है। 108 वाहन से ईलाज के लिये उसे बिरसा अस्पताल ले गये थे। पुलिस ने नक्शा मौका प्र.पी.04 तैयार किया था। पुलिस ने उसकी सायकिल का जप्ती पंचनामा नहीं बनाया था, किन्तु पुलिस ने उसे उसकी सायकिल को हिफाजतनामे पर दिया था तथा उसके संबंध में प्र.पी.03 का सुपुर्दनामा तैयार किया था। पुलिस ने उसका बयान भी लेखबद्ध किया था।

09:— गंगु उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 को पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर यह स्वीकार किया है कि उसके हीरो जेट सायकिल के पीछे राजा बाबू लिखा हुआ था, जिसे जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया गया था, किन्तु इससे इंकार किया है कि पुलिस ने जप्तशुदा वाहन का नुकसानी पंचनामा तैयार किया था। उसे याद नहीं है कि पुलिस ने पांच सौ रुपये के नुकसान होने पर नुकसानी पंचनामा तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी कहाँ का रहने वाला है उसे मालूम नहीं है। उसने स्वयं आरोपी को दुर्घटना करते हुए नहीं देखा है। आरोपी का नाम सुने जाने पर वह उसे जानता है। उसे आज पता चला कि आरोपी का नाम

<u>दाण्डिक प्र0क0–355/2016</u> रामाधार साहू है। दुर्घटना करने वाला वाहन दुर्घटना के बाद नहीं रूका था। इस प्रकार इस साक्षी ने मौके पर आरोपी को नहीं देखना बताया है तथा यह भी स्पष्ट बताया है कि वाहन नहीं रूका था। वह आरोपी का नाम दूसरों से सुने जाने के आधार पर जानता है। इस प्रकार इस साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं बताया है कि घटना के समय आरोपी ही वाहन चला रहा था तथा इस साक्षी ने घटना के समय आरोपी कितनी तेजी से वाहन चला रहा था यह भी नहीं बताया है।

- जगेलाल अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता 10:-है। घटना एक वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे की है। उसे सूचना मिली की उसके साले का लड़का गंगु का दुर्घटना हो गया है, जिसके बाद वह थाना बिरसा गया था। घटना के संबंध में उसे और जानकारी नहीं है। दुर्घटना कैसे हुआ था उसकी भी जानकारी नहीं है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि इनोवा सी.जी.04एच.डी.1404 के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर गंगु की सायकिल को ठोकर मार दिया था। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।
- हमीद अ.सा.०२ ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता 11:-है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम 6:45 बजे की ग्राम बहेराभाटा की है। वह अपने घर पर था। आवाज आने पर बाहर जाकर देखा तो एक व्यक्ति सडक पर गिरा पड़ा था। वहाँ उपस्थित लोगों ने बताया था कि इनोवा गाड़ी से टककर हुई थी। सायकिल सवार के सिर और हाथ में खरोंच आई थी। उसने सालेटेकरी में जाकर सूचना प्र.पी.01 दिया था। पुलिस ने जप्तशुदा सायकिल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.02 तैयार किया था। पुलिस ने सायकिल गंगु उर्फ गंगेश्वर को सुपुर्दनामे पर दिया था। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि इनोवा सी.जी.04एच.डी.1404 के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर गंगु की सायकिल को ठोकर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि दुर्घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी वह नहीं जानता है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन

नहीं किया है।

- 12:— सनुकलाल अ.सा.03 ने बताया है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। आहत गंगु उर्फ गंगेश्वर को भी नहीं पहचानता है। घटना एक वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे ग्राम बहेराभाटा की है। वह अपनी दुकान पर था। घटनास्थल पर भीड़ देखकर वह पहुँचा तो वहाँ पर सायिकल पड़ी हुई थी कोई व्यक्ति नहीं था। उसे लोगों ने बताया कि चार पहिया वाहन से सायिकल का टक्कर हुआ है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने पर इससे इंकार किया है कि इनोवा सी.जी.04एच.डी.1404 के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर गंगु की सायिकल को ठोकर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में भी बताया है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखा इसिलये दुर्घटना कैसे और किसकी गलती से हुई थी वह नहीं जानता है। इस प्रकार इस साक्षी ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।
- 13:— मुकेश रंगारी अ.सा.06 ने बताया है कि वह दिनांक 20.03.2015 को थाना बिरसा के प्रधान आरक्षक ने उसे शासकीय अस्पताल बिरसा से अस्पताली तहरीर लाकर दिया था, तब उसने आहत गंगु उर्फ गंगेश्वर का कथन लेखबद्ध किया था, जिसमें आहत ने 20.03.2015 को शाम के समय हीरो कंपनी की सायिकल से बहेराभाटा जाते समय इनोवा सी.जी.04 एच.डी.1404 के चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही से गाड़ी चलाकर टक्कर मारने से चोट आना बताया था। आहत का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। दिनांक 21.03.2015 को उसने अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध अपराध कमांक 32/15 धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं धारा 184 मो. व्ही. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 पंजीबद्ध किया था। विवेचना के दौरान नक्शा मौका प्र.पी.04 तैयार किया था। आहत गंगु की सायिकल का फेम नंबर 334224 को क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था। उक्त दिनांक को ही गवाह जगेलाल एवं हमीद के समक्ष क्षतिग्रस्त सायिकल का नुकसानी पंचनामा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसमें 500/— रुपये का नुकसानी होना फरियादी को बताया था। उसने फरियादी गंगु को सायिकल सुपुर्दगी पर देकर सुपुर्दनामा

प्र.पी.03 तैयार किया था।

- 14:— मुकेश रंगारी अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 22.03.2015 को थाना बिरसा के सामने वाहन सी.जी.04एच.डी.1404 को गवाह राधेश्याम एवं कृष्णा के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था। उसने वाहन स्वामी कृष्णा साहू को दिनांक 23.03.2015 को धारा 133 मो.व्ही. एक्ट की नोटिस प्र.पी.10 दिया था, जिसमें उसने घटना दिनांक को उक्त वाहन आरोपी रामाधार द्वारा चलाना बताया था। घटना के उपरांत आरोपी के भागने और सायिकल के नुकसान होने से धारा—134/187 मो.व्ही. एक्ट एवं धारा 427 भा.द.वि. का ईजाफा किया था। प्रतिपरीक्षण में इससे इंकार किया है कि उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था। इससे भी इंकार किया है कि उसने झूटा नुकसानी पंचनामा तैयार किया था।
- 15:— च्यायदृष्टांत स्टेट आफ एम.पी. बनाम कन्हैयालाल, 2010 (2) म.प्र.वि.नी. 119 म.प्र. में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन को यह प्रमाणित करना चाहिए कि वाहन की स्पीड कितनी थी। दुर्घटना कारित करने वाले चालक के उपेक्षावान कृत्य जो कि उसके चालन के सबंध में हो, न्यायालय में प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्रकरण में स्वयं आहत गंगु उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपी को दुर्घटना कारित करते समय नहीं देखा था। उसे प्रकरण में आरोपी का नाम लिये जाने से आरोपी के नाम की जानकारी हुई थी तथा उक्त बात की जानकारी भी आज ही हुई थी। घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर नहीं रूका था, जिससे इस साक्षी के कथन से स्पष्ट है कि उसने आरोपी को मौके पर वाहन चलाते हुए नहीं देखा था। आहत गंगु उर्फ गंगेश्वर अ.सा.04 के मेडिकल परीक्षण के संबंध में डाँ० एम. मेश्राम अ.सा.07 ने यह भी बताया है कि आहत के मुँह से शराब की तेज गंध आ रही थी। दोनों ऑख की पुतलियाँ फैली हुई थी। आहत की चाल में गड़बड़ाहट थी तथा वह उलुल—जुलुल बात कर रहा था। शराब का सेवन किये हुए था। इस प्रकार चिकित्सक के कथन

<u>दाण्डिक प्र0क0–355/2016</u> से स्पष्ट है कि आहत गंगु स्वयं शराब के नशे में था। ऐसे में अभियोजन को यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना था कि आरोपी की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई थी। आहत गंगु ने गाड़ी कितनी तेज गति से चल रही थी यह भी नहीं बताया है तथा आरोपी की पहचान भी नहीं किया है। आरोपी के वाहन चलाने में अन्य किसी लापरवाही के बारे में भी नहीं बताया है।

जगेलाल अ.सा.01 ने भी आरोपी की पहचान नहीं किया है तथा आरोपी द्वारा तेजी लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने के बारे में नहीं बताया है। हमीद अ.सा.02 तथा सनुकलाल अ.सा.03 ने भी आरोपी की पहचान नहीं किये हैं तथा उक्त दोनों साक्षियों ने आरोपी द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन चलाये जाने के बारे में नहीं बताया है। आरोपी द्वारा रिष्टि कारित करने के आशय से फरियादी की सायकिल को ठोकर मारा हो ऐसा भी कोई साक्ष्य नहीं है। चूँिक आरोपी की पहचान भी प्रमाणित नहीं है। ऐसे में आरोपी द्वारा वाहन छोड़कर भागने तथा आहत को चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध न कराने तथा पुलिस को सूचना न देने का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। ऐसे में जहाँ आरोपी के उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाये जाने के सबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। वहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद होता है। जहाँ अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो वहाँ आरोपी को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए एवं जहाँ दो युक्तियुक्त विचार संभव हो ऐसी परिस्थिति में दोषमुक्ति के समर्थन करने वाले विचार को ग्रहण किया जाना चाहिए। इस सबंध में न्यायादृष्टांत स्टेट ऑफ एम.पी. बनाम सुनील जैन 2007(3) म.प्र.लॉ.ज. 372 म.प्र.—अवलोकनीय है।

उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर 17:-है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 20.03.2015 को शाम 7:00 बजे थाना बिरसा अंतर्गत ग्राम बहेराभाटा तोरणा रोड चौराहा मेन रोड लोकमार्ग पर वाहन इनोवा कमांक सी.जी.04 / एच.डी-1404 को उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठाकरे को टक्कर मारकर साधारण उपहति

दाण्डिक प्र0क0-355 / 2016

कारित किया, उपरोक्त वाहन से फरियादी गंगेश्वर उर्फ गंगू ठाकरे की हीरों सायिकल को टक्कर मारकर, नुकसान पहुँचाकर रिष्टी कारित किया, उक्त वाहन का भारसाधक या चालक होते हुए दुर्घटना के पश्चात उक्त वाहन को छोड़कर भागने, आहत को चिकित्सा उपलब्ध न करवाने एवं थाने में सूचना नहीं दिया। फलतः आरोपी को धारा 279, 337, 427 भा.दं.वि. एवं धारा 134/187 मोटर व्हीकल एक्ट के आरोपों से दोषमुक्त किया जाकर इस मामले से स्वतंत्र किया जाता है।

- 18:- आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 19:— आरोपी जिस कालावधि के लिए जेल में रहा हो उस विषय में एक विवरण धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। आरोपी के पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।
- 20:— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन वाहन इनोवा क्रमांक सी.जी.04 / एच. डी—1404 आवेदक कृष्णा साहू पिता तीरथराम साहू, उम्र—50 वर्ष, जाति तेली, निवासी पुल चौक गोल बाजार रायपुर जिला रायपुर(छ०ग०) की सुपुर्दगी पर है। अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सुपुर्दनामा सुपुर्ददार के पक्ष में उन्मोचित किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

"मेरे निर्देश पर टंकित किया"

सही / – (मधुसूदन जंघेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही / —
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)